राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

546/2018

हनुमान बनाम शान्ति

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

18.9.25

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/09/2025 को पेश हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

23.9.25

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ही सरसरी तौर पर अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/09/2014 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 13/03/2012 को प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, परन्तु उक्त नोटिस अपीलार्थीगण को प्राप्त नही हुये तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपर्याप्त तामील को ही पूर्ण तामील मानते हुये दिनांक 03/04/2012 को प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 17 व 20 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश प्रदान करते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17/07/2012 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में प्रथम बार कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 22/03/2014 को बनाये गये, जिसमे खसरा नम्बर 540/163 की उत्तर दिशा की और मात्र 163/1 का रकबा दर्शाया गया | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा खसरा नम्बर 540/163 की उत्तरी और तीन अन्य खसरा नम्बर 541/163, 542/163 व 163/2 बना दिये गये, जो पूर्वानुसार विपरीत थे, जिसे खाता संख्या 163/1 में दर्ज कर दिया गया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तकासमा केवल खसरा नम्बर 163/2 का ही चाहा गया था | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिए बगैर एवं क़ानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर सरसरी तौर पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/09/2014 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे |

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने पर अपीलार्थीगण को नोटिस

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हनुमान बनाम शान्ति

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
546/2018	

546/2018 का बाद सुनवाई विधिवत पारित करे।

जारी किये जाने के पश्चात उनकी प्रोपर तामील करवायी गयी एवं बाद तामील अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित होने पर उनके विरुद्ध सही रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर गये | तहसीलदार द्वारा विवादग्रस्त भूमि के पजेशन के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गयी एवं पजेशन में जो जहाँ काबिज है उसकी तरमीम हो गयी एवं विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 163/1 की तरमीम नही हुई है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/09/2014 पारित की गयी है, जिसमे तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के तामील से प्राप्त नोटिस पर अंकित तामील कुलिन्दा की रिपोर्ट का समुचित अवलोकन किये बगैर ही अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये अपीलार्थीगण की सुनवाई किये बगैर ही अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जो न्यायोचित्त प्रतीत नही होती है | जबकी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तामील से प्राप्त अपीलार्थीगण के नोटिस पर तामील कुलिन्दा द्वारा यह स्पष्ट अंकित किया गया है की "आसामी घर पर नही मिले" | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे पुन: अपीलार्थीगण को सूचना हेतु नोटिस जारी करते किन्तु ऐसा नही कर अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर उनका पक्ष सुने बिना ही अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है | अत: ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य प्रतीत होने से उन्हें स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/09/2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों (उभयपक्षों) की उपस्थिति में पुन: कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर बाद प्राप्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियों

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हनुमान बनाम शान्ति 546/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का बाद सुनवाई विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये अन्तिम निर्णय व डिक्री पुनः पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर